न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर , मध्यप्रदेश

(212)

राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक ——————/2016—17
A. 5544-पी/16

मंगलेश्वर सिंह तनय स्वर्गीय गुलाब सिंह उम्र 70 साल पेशा खेती निवासी ग्राम कोतरकला थाना सीधी तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 ——— अपीलार्थी

आवेदक श्री मंगलेश्वर सिंह द्वारा स्वतः प्रस्तुत किया गया 26.12.16
26.12.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम,

1— मिट्ठू केवट उम्र 50 साल तनय स्व0 रघुबीर केवट

2— कुसुम केवट उम्र 48 साल पिता स्व0 रघुबीर केवट

3— साधना केवट उम्र 46 साल पिता स्व0 रघुबीर केवट

4— अन्नू केवट उम्र 44 साल पिता स्व0 रघुबीर केवट

5— सावित्री केवट उम्र 42 साल पिता स्व0 रघुबीर केवट

6— भारती केवट उम्र 40 साल पिता स्व0 रघुबीर केवट

7— त्रिवेणी केवट पिता स्व0 गुलुआ केवट

सभी निवासी ग्राम कोतरकला तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 ———उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय रीवा , कैम्प कोर्ट सीधी (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक—833/अपील / 2015—16 /15/ अन्तरण /16—17 में पारित आदेश दिनांक 17 नवम्बर 2016,

अपील अन्तर्गत धारा 44 (1) सिविल प्रकिया संहिता,

मान्यवर,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित अपील प्रस्तुत है :—

1— यहकि प्रस्तुत की जा रही अपील के निराकरण हेतु निराकृत प्रकरण के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निवेदित किया जाना आवश्यक है जो इस तरह हे कि :—

(ए) यहकि विद्वान उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 की न्यायालय में लम्बित राजस्व अपील क्रमांक— 552/अपील/ 13—14 को अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु अपीलार्थी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय, अपर आयुक्त रीवा कैम्प सीधी के समक्ष मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 30 के अन्तर्गत इस अभिवचन के साथ अन्तरण आवेदन प्रस्तुत किया कि :—

मंगलेश्वर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 A.5544–II / 16 जिला–सीधी

मंगलेश्वर सिंह / मिट्ठू केवट वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	